PRESS INFORMATION BUREAU
पत्र सूचना कार्यालय
GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार

Nai Dunia, New Delhi
Saturday 13th December 2014, Page: 9
Width: 10.57 cms, Height: 9.19 cms, a4, Ref: pmin.2014-12-13.38.95

52 नई दवाएं मिलेंगी नियंत्रित कीमतों पर

मुंबई (एजेंसी)। सरकार ने 52 अतिरिक्त दवाओं के दाम नियंत्रित कर दिए हैं। इनमें दर्द निवारक दवाएं और एंटीबायोटिक्स शामिल हैं। प्राइसिंग अथॉरिटी की तरफ से जारी एक नोटिस में यह जानकारी दी गई है।

इससे पहले कई अलग-अलग चरणों में करीब 400 जरूरी दवाओं की कीमतें नियंत्रित की जा चुकी हैं। देश में जरूरी दवाओं की उपलब्धता और कीमत हमेशा अहम मसला रहा है। कारण यह है कि ज्यादातर आबादी रोजाना करीब 125 रुपए से कम आय पर गुजर-बसर करती है और स्वास्थ्य बीमा की सुविधा बहुत कम लोगों को नसीब है।

राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण की वेबसाइट पर जारी एक नोटिस के मुताबिक 52 नई दवाएं मूल्य नियंत्रण प्रणाली के तहत लाई जाएंगी। इनमें आम तौर पर इस्तेमाल होने वाली एंटीबायोटिक्स, दर्द निवारक दवाएं, कैंसर और त्वचा संबंधी बीमारियों के इलाज में काम आने वाली दवाएं शामिल हैं। जिन कंपनियों की दवाएं नियंत्रित मूल्य प्रणाली की नवीनतम सूची में डाली गई हैं, उनमें ल्यूपिन, कैडिला हेल्थकेयर और मर्क (अमेरिकी कंपनी मर्क एंड को इंक की भारतीय शाखा) शामिल हैं।

इस मसले पर प्रतिक्रिया के लिए कैडिला और ल्यूपिन से संपर्क किया गया, लेकिन उनकी तरफ से फौरन कोई जवाब नहीं आया।